

(43/24)

झारखण्ड सरकार
पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग

“अधिसूचना”

संख्या :- म0नि0 XIX-प्रशिक्षण/18/2013-14/- 160 राँची, दिनांक - 31.01.14

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन कार्यरत विभागीय सेवा/संवर्गों की कार्यक्षमता एवं कौशल विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने हेतु निम्नवर्णित प्रशिक्षण नीति लागू की जाती है :-

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- i) संक्षिप्त नाम : यह नीति पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) सेवा संवर्ग प्रशिक्षण नीति-2013 कही जाएगी।
- ii) विस्तार : इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग के अधीन सभी कार्यालयों में कार्यरत सेवा/संवर्ग के लिए लागू होगा।
- iii) प्रभाव की तिथि : राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अगले आदेश तक यह नीति प्रभावी होगी।

2.0 परिभाषाएँ :

- (क) “राज्य” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।
- (ख) “विभाग” से अभिप्रेत है, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय झारखण्ड, राँची।
- (ग) “सेवा” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य मत्स्य सेवा।
- (घ) “संवर्ग” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य मत्स्य सेवान्तर्गत कार्यरत विभिन्न संवर्ग।
- (ङ) “प्रशिक्षण” से तात्पर्य है, राज्य मत्स्य विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों एवं विभिन्न संवर्ग के कर्मियों का प्रशिक्षण।
- (च) “नीति” से अभिप्रेत है, मत्स्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं विभिन्न संवर्ग के कर्मियों हेतु प्रशिक्षण नीति।

3.0 पृष्ठभूमि :

3.1 मत्स्य विज्ञान एक नयी विधा है और इस क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषकों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुँचाया जाय। प्रशिक्षण इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रशिक्षण से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है तथा कौशल में अभिवृद्धि होती है जिसका सीधा प्रतिफल उत्पादन में बढ़ोत्तरी है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मत्स्य विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा मत्स्य पालन को सुसंगठित एवं विकासशील आधार प्रदान करने के निमित्त विभागीय सेवा/संवर्गों के व्यवहारिक तकनीकी ज्ञानवर्धन एवं कार्य-क्षमता में वृद्धि लाना अत्यावश्यक है।

hwm

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विभागीय सेवा/संवर्गों की कार्यक्षमता एवं कौशल विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने हेतु निम्नवर्णित प्रशिक्षण नीति लागू की जाती है :

3.2 झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपलब्ध जलक्षेत्रों से मत्स्य उत्पादन की प्रबल संभावनाएँ हैं। अतएव मत्स्य पालन को अधिकाधिक विस्तारित करते हुए मत्स्य प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाकर राज्य के नागरिकों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि लाना तथा मत्स्यपालकों के सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करना ही मत्स्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है।

3.3 उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थान/प्रक्षेत्र को सुदृढ़ करने एवं सम्पूर्ण श्रम-शक्ति का सार्थक उपयोग करने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण नीति लागू किया जाना अनिवार्य है।

4.0 उद्देश्य :

- 4.1 सेवा/संवर्ग के कर्मियों की कार्य-शैली में नवीनता एवं उन्नयन लाना।
- 4.2 सेवा/संवर्ग के कर्मियों को देश-विदेश की नयी तकनीकों से अवगत कराना।
- 4.3 सेवा/संवर्ग के कर्मियों को तकनीकी (व्यवहारिक) रूप से कार्यदक्ष बनाना।
- 4.4 कार्य के प्रति सेवा/संवर्ग के कर्मियों का उत्साहवर्द्धन करना।
- 4.5 सेवा/संवर्ग के कर्मियों में तकनीकी ज्ञानवर्द्धन की निरन्तरता को कायम रखना (Updation of technical knowledge)।
- 4.6 कार्य-विशेष से सम्बद्ध सेवा/संवर्ग के कर्मियों की पहचान बनाने में सहायक होना।
- 4.7 विभाग-संबंधी-आपदा प्रबन्धन में सहायक होना।

5.0 सामान्य कार्यनीति :

- 5.1 विभागान्तर्गत सेवारत सेवा/संवर्ग के वर्ग 3 एवं वर्ग 3 से उपर के कर्मियों को प्रत्येक दो वर्षों के अन्तराल पर एक सप्ताह/दो सप्ताह का refresher कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 सेवा/संवर्ग के कर्मियों से प्राप्त संबंधित सूचनाओं के आधार पर एक Data Bank बनाया जायेगा। तदनुसार आवश्यक हो तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण हेतु मनोनीत किया जाएगा।
- 5.3 विभागान्तर्गत सेवारत सेवा/संवर्ग के वर्ग 3 एवं वर्ग 3 से उपर के सभी कर्मियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण नीति लागू रहेगी।

नीति :

मत्स्य निदेशालय एवं इससे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की वस्तुस्थिति निम्नप्रकार है :-

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| 1. संयुक्त/उप मत्स्य निदेशक | - | वर्ग - 1 |
| 2. जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं समकक्ष | - | वर्ग - 2 |
| 3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी | - | वर्ग - 3 |
| 4. मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक | - | वर्ग - 3 |
| 5. प्रधान लिपिक/लिपिक | - | वर्ग - 3 |

160
31.01.14

[Signature]

[Signature]

प्रत्येक संवर्ग के लिए निम्न प्रकार प्रशिक्षण नीति होगी :

(क) संयुक्त मत्स्य निदेशक / उप मत्स्य निदेशक :

इस कोटि के पदाधिकारी परिक्षेत्र एवं निदेशालय स्तर पर पदस्थापित होते हैं। इनका कार्य मुख्यतः विभागीय कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नीति निर्धारण में सहयोग होता है। इनके लिए निम्न लिखित प्रशिक्षण सत्र होंगे —

- प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य संबंधी प्रशिक्षण
- स्थल अध्ययन आधारित उच्चस्तरीय तकनीकी मात्स्यिकी प्रशिक्षण
- तकनीकी विस्तार नीति निर्धारण संबंधी प्रशिक्षण
- अन्य कोटि के किसी भी प्रशिक्षण जिसमें भाग लेने हेतु इन्हें विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा नामित किया जाय।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं समकक्ष :

इस कोटि के पदाधिकारी जिला स्तर पर पदस्थापित होते हैं। ये कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होते हैं। इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सत्र निम्न प्रकार होंगे :—

- प्रशासनिक प्रशिक्षण (झारखण्ड सेवा संहिता/लेखा का प्रशिक्षण)
- कोषागार प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण
- योजना/ बजट आधारित प्रशिक्षण
- मात्स्यिकी तकनीक का प्रशिक्षण (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र/मैनेज आदि में) एवं स्थल अध्ययन।
- तकनीक विस्तार प्रशिक्षण
- सहकारिता विषयक प्रशिक्षण
- अन्य कोटि के किसी भी प्रशिक्षण जिसमें भाग लेने हेतु विभागाध्यक्ष/सरकार द्वारा नामित किया जाय।

(ग) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी :

इस कोटि के पदाधिकारियों की प्रोन्नति वर्ग — 2 में होती है। ये तकनीकी पदाधिकारी होते हैं तथा ये विभागीय कार्यों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा प्रतिवेदन तैयार करने में जिला मत्स्य पदाधिकारी की मदद करते हैं। इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सत्र निम्न प्रकार होंगे —

- सेवा संहिता/ लेखा प्रशिक्षण
- योजना/ बजट आधारित प्रशिक्षण
- मात्स्यिकी तकनीक प्रशिक्षण—सह—स्थल अध्ययन
- तकनीक विस्तार प्रशिक्षण
- सहकारिता विषयक प्रशिक्षण
- अन्य कोटि के प्रशिक्षण जिसमें भाग लेने हेतु विभागाध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा नामित किया जाय।

(घ) मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक :

मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक पंचायत/ प्रखण्ड स्तर पर कार्य करते हैं। ये वर्ग—3 के तकनीकी कर्मचारी हैं। इनकी संख्या विभाग में सबसे अधिक है। ये मत्स्य कृषकों से सीधे जुड़े हुए होते हैं। लाभुकों का चयन, सर्वेक्षण, मत्स्य उत्पादन तथा विभागीय

156
31.11.14

hml

योजनाओं का कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर इनके द्वारा ही किया जाता है। इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सत्र निम्न प्रकार होंगे -

- मात्स्यिकी तकनीक प्रशिक्षण सह स्थल अध्ययन
- तकनीक विस्तार प्रशिक्षण
- लोकहित विषय आधारित प्रशिक्षण
- सहकारिता विषयक प्रशिक्षण, कम्प्यूटर आपरेशन
- अन्य कोटि के किसी भी प्रशिक्षण जिसमें भाग लेने हेतु निदेशक मत्स्य/ सरकार द्वारा नामित किया गया हो।

(ड.) प्रधान लिपिक/ लिपिक :

इस संवर्ग का पदस्थापन निदेशालय, परिक्षेत्र एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में होता है। ये कार्यालय संबंधी विपत्र/लेखा/अंकेक्षण/अभिलेख संधारण आदि संबंधित कार्य के जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण सत्र निम्न प्रकार होंगे -

- सेवा संहिता आधारित
- लेखा आधारित
- बजट/ योजना आधारित प्रशिक्षण
- कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण
- अन्य कोटि के किसी प्रशिक्षण जिसमें नामित किया गया हो

प्रशिक्षण हेतु बजट प्रावधान :

प्रत्येक वर्ष वेतन मद में कुल बजट उपबन्ध का कम से कम 2.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि को प्रशिक्षण/सेमीनार मद हेतु उपबंधित किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु देय सुविधाएँ :

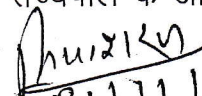
प्रशिक्षण के निमित्त सभी प्रकार के व्यय (रहने/खाने-पीने/ दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता/कोर्स फी आदि) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार के अधिकार :

- क) झारखण्ड राज्य मत्स्य विभाग के प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति पूर्ण रूप से सरकार में निहित होगी।
- ख) झारखण्ड राज्य मत्स्य विभाग अन्तर्गत प्रशिक्षण निधि में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या एवं कार्यान्वयन में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव में सन्निहित होगी।

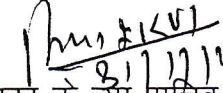
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(सियाशर्मा पासवान)
सरकार के उप सचिव

160
31/01/14

ज्ञापांक :- 160 दिनांक 31.01.14
 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की प्रति के साथ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हेतु प्रेषित।
 उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


 सरकार के उप सचिव

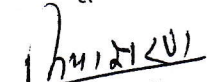
ज्ञापांक :- 160 दिनांक 31.01.14

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड के सचिव/झारखण्ड के सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव

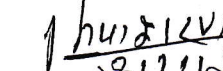
ज्ञापांक :- 160 दिनांक 31.01.14

प्रतिलिपि:- निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ मत्स्य निदेशालय के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव

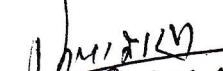
ज्ञापांक :- 160 दिनांक 31.01.14

प्रतिलिपि:- कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 160 दिनांक 31.01.14

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (मत्स्य), भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशुपालन, गव्य विकास तथा मात्स्यिकी विभाग, नई दिल्ली / कुलपति, सी० आई० एफ० ई०, फिशरी युनिवर्सिटी रोड, सात बंगला, वरसोवा, मुम्बई/ निदेशक, सीफा, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर (उड़ीसा)/ निदेशक, सीफरी, बैरकपूर (प० बंगाल) को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव